नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), उत्तरी दिल्ली की समन्वय समिति की दिनांक 27 जनवरी, 2026 की बैठक के कार्यवृत्त

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), उत्तरी दिल्ली की समन्वय समिति की दिनांक **27 जनवरी, 2026** को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के समिति कक्ष में एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया;

1. **श्री जय नारायण उपाध्याय,** वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली।
2. **श्रीमती अलका ठाकुर,** सहायक निदेशक(राजभाषा), कार्मिक प्रतिभा केंद्र (सेप्टेम), दिल्ली।
3. **श्रीमती भारती चौहान,** सहायक निदेशक(राजभाषा), अग्नि विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र, दिल्ली।
4. **श्री बनवारी लाल,** वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, नाभिकीय औषधि तथा सम्बन्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली।
5. **श्रीमती सरिता शर्मा,** सहायक कमांडेट (राजभाषा), कार्यालय पुलिस महा-निरीक्षक, कोबरा सेक्टर मुख्यालय, नई दिल्ली।
6. **डॉ. डी. एस. पिलानिया,** सदस्य सचिव, नराकास, पौधा किस्म परीक्षक एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ), पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।

डॉ. डी. एस. पिलानिया, सदस्य सचिव, नराकास, पौधा किस्म परीक्षक एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ), पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा समन्वय समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया तथा सभी सदस्यों को मद जो विचार विमर्श किए जाने है की जानकारी दी गयी।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया जो निम्न प्रकार है:

1. दिनांक 14 नवम्बर, 2025 को श्री कुमार पाल शर्मा, संयुक्त निदेशक(का.) से पत्र संख्या 2024/03/2024-रा.भा.(का.) ई मेल द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें नराकास (उतरी दिल्ली) के सदस्य कार्यालयों की संख्या 35 तक रखने के संदर्भ में कहा गया है, चूँकि नराकास (उत्तरी दिल्ली) के सदस्य कार्यालयों की संख्या 72 है जो कि बहुत अधिक है और जिनका अवलोकन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पडता है। इसलिए दिनांक 20 नवम्बर, 2025 को समन्वय समिति की बैठक की गई जिसमें सदस्यों द्वारा 71 सदस्य कार्यालयों को घटाकर 46 कार्यालयों की सूची तैयार की गयी। इन 46 सदस्यों कार्यलयों में सभी तकनीकी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अनुसंधान में सम्बंधित कार्यालयों तथा आस-पास के कार्यालयों को रखा गया है जिसमें की बैठक में आने-जाने में कोई बाधा न हो।

2. दिनांक 20/11/2025 की बैठक के कार्यवृत पर विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि कार्यालयों की संख्या को 35 तक रखी जाए जैसा कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा से प्राप्त पत्र में दिशा निर्देश दिया गया है। बैठक में सभी 46 कार्यालयों पर विचार किया गया और लगभग 8 ऐसे कार्यालय जो तकनीकी, शैक्षणिक तथा शोध के कार्यो से नहीं जुड़े है उन्हें नराकास (उत्तरी दिल्ली) से हटाया गया और एक सूची 38 (अनुलग्नक – अ) कार्यालयों की तैयार की गयी जिसमें सभी केंद्रीय विद्यालयों को शामिल किया गया।

3. अतः यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय विद्यालयों को सदस्य बनाते हुए समन्वय समिति की अगली बैठक अति शीघ्र करायी जाए ताकि सूची को अंतरिम रूप देने से पहले सभी का सुझाव लिया जाए।

4. बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सुझाव आया कि नराकास (उत्तरी दिल्ली) की छमाही बैठक जो अप्रैल 2026 के अंत में प्रस्तावित थी, को मई के अंत में या जून 2026 में करने की सलाह दी गयी, चूँकि मार्च 31 तक की रिपोर्ट छमाही रिपोर्ट में शामिल करनी होती है। अत: नराकास (उत्तरी दिल्ली) की छमाही बैठाक जून, 2026 में करायी जाए।

5. हिंदी की पत्रिका को बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त समिति की बैठक अतिशीघ्र करायी जाए ताकि सभी कार्यालयों से लेख/कविता या अन्य कोई मुद्रित हेतु सुझाव आमंत्रित किया जा सके।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।